

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

युआईडी संख्या: UPFS/2025/157029/GZB/GHAZIABAD/8736/CFO

दिनांक: 02-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स Saraswati World School, Ram Park Extn (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता KHASRA NO.- 181, RAM PARK EXTENSION, GHAZIABAD तहसील - LONI, प्लॉट एरिया 3296.66 sq.mt. कुल कवर्ट एरिया 2808.66 (वर्ग मीटर), स्लाबों की संख्या - 1 जिसमें

स्लॉक/टावर	प्रत्येक स्लाब में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
GROUND AND 02 FLOORS	3	0	10.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स Saraswati World School, Ram Park Extn द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि नियंत्रण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 06-01-2026 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री RAJEEV KUMAR के साथ किया गया। भवन में अधिरूपापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिसूचित पायी गयी। अतः प्रभगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-01-2026 से 06-01-2029 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स Saraswati World School, Ram Park Extn अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स : Saraswati World School, Ram Park Extn अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है। 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से वर्ष में न्यूनतम एक बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाय

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों : सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Rahul Pal)

निर्गत किये जाने का दिनांक: 07-01-2026
स्थान: GHAZIABAD

[AC551D1C1977602518FD17F7DCFBAB816AD74EDA]

07-01-2026

Manager
Saraswati World School
Rampark Extn., Tronica City
Loni, Ghaziabad-201103, (U.P.)

Principal
Saraswati World School
Rampark Extn., Tronica City
Loni, Ghaziabad-201103, (U.P.)